भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1553

09.02.2026 को उत्तर के लिए

जलवायु आपदा रैंकिंग

1553. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक (सीआरआई) रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु संबंधी आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत नौवें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो देश में घटित प्रमुख जलवायु संबंधी आपदाओं का राज्यवार ब्यौरा और उनके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश में जलवायु संबंधी आपदाओं की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती तूफान, सूखा, बाढ़, लू, भूस्खलन और हिमताल (ग्लेशियल) झीलों के अचानक टूटने से उत्पन्न बाढ़ जैसे विषम मौसम संबंधी घटनाएँ हुई हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिविधि के प्रति संवेदनशील हैं, जबकि भारतीय हिमालयी क्षेत्र, जो भूकंपीय क्षेत्रों IV और V में स्थित हैं, भूस्खलन, बाढ़ और हिमताल झीलों के अचानक टूटने से उत्पन्न बाढ़ के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इंडो-गंगा के मैदानों, मध्य भारत और उत्तर-पश्चिमी भारत में बार बार-हीटवेब चलती रहती हैं, जबकि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ ने देश के कई हिस्सों को विशेष रूप से इंडो-गंगा के मैदान, प्रायद्वीपीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है।

सरकार ने संवेदनशील राज्यों तथा क्षेत्रों में कार्यान्वित जोखिम विशिष्ट उपशमन और सहयता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु संबंधी आपदाओं के बढ़ते जोखिमों पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस एवं लक्षित उपाय किए है, जो इस प्रकार है।

i. सूखा-प्रवण राज्यों में सूखा शमन के लिए, लक्षित कार्यक्रमों को सहायता दी गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में क्षेत्र-विशिष्ट कृषि प्रणालियाँ, सतही और भूजल प्रबंधन तथा कृषि-वन्य प्रणाली पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक सूखा सहिष्णुता को बढ़ाना है।

ii. वनाग्नि से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वनाग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना' को स्वीकृत किया है, जो 19 राज्यों के 144 उच्च-प्राथमिकता जिलों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड में लागू को जाएगी। यह योजना रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और आग के बाद पुनर्स्थापन पर केंद्रित है।

iii. शहरी बाढ़ के लिए, प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और चेन्नई तथा साथ ही गुवाहाटी, पटना, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और रायपुर जैसे टियर-II शहरों में एकीकृत संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक बाढ़ प्रबंधन उपाय लागू किए जा रहे हैं।

iv. हिमालयी राज्यों में हिमनद झील के अचानक टूटने से होने वाली बाढ़ (जीएलओएफ) के जोखिम को कम करने के लिए 'राष्ट्रीय (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम (एनजीआरएमपी) को मंजूरी दी गई है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित हिमालयी राज्यों में लागू किया जा रहा है और इसमें खतरे एवं जोखिम आकलन, निगरानी और शीघ्र चेतावनी प्रणाली, शमन उपाय तथा समुदाय जागरूकता शामिल हैं।

v. भूस्खलन जोखिम शमन के लिए, भूस्खलन-प्रवण राज्यों में लक्षित कार्य किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हिमालयी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ यह कार्य राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के माध्यम से किया जा रहा है।

vi. इसके अतिरिक्त, असम में कई जिलों में आर्द्रभूमि के माध्यम से बाढ़ शमन में सहयोग किया गया है, ताकि प्राकृतिक जल-भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके और बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके। तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी तट-क्षरण, बाढ़ और तूफानी लहरों के जोखिमों से निपटने के लिए एकीकृत तटीय जोखिम शमन और अनुकूलन कार्यक्रम के तहत तटीय जोखिम शमन एवं अनुकूल उपाय लागू किए गए हैं।

ये उपाय जलवायु-संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार की निरंतर प्राथमिकता-रोकथाम आधारित शमन, जोखिम-आधारित योजना और अनुकूलता-उन्मुख विकास को दर्शाते हैं।

****